न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/44/18	28–03–2018	02–07–2019

01. सूरज मल शर्मा पुत्र स्व0 श्री रेवडराम पटेल उचित मूल्य दुकानदार 1/4 भाग ग्राम पंचायत रैणी तहसील रैणी जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

01. जिला रसद अधिकारी, अलवर (राजस्थान)

रेस्पौडेण्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला रसद अधिकारी अलवर दिनांक 05–03–2018 बाबत प्राधिकार पत्र संख्या 1351/2005 प्रकरण संख्या 14/2018

उपस्थितः–

01. श्री श्योराम सिंह नरूका –वकील अपीलान्ट
02. विभागीय पैरोकार –रेस्पौडेण्ट

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 05–03–2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 1351/2005 निरस्त करने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बिना अपीलार्थी को सुने निलम्बित किया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा उचित मूल्य दुकानदार अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान के निरीक्षण की जांच रिपोर्ट दिनांक 27.11.2017 में वर्णित आरोपो पर उचित मूल्य दुकानदार को अपना जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु सुनवाई का अवसर हेतु कारण बताओं नोटिस दिनांक 26.2.2018 को जारी किया गया नोटिस की तामील दिनांक 27.2.2018 को तहसीलदार रैणी के माध्यम से कराई गई तथा नोटिस की एक प्रति अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजी गई, जो नोटिस अपीलार्थी को प्राप्त नहीं हुआ और ना ही किसी नोटिस की जात खास पर तामील जरिये तहसीलदार रैणी के हुई है। दिनांक 27.11.18 को अपीलार्थी के पेट में अत्यधिक दर्द हो जाने के कारण बीमार होने के कारण राजकीय चिकित्सालय बांदीकुई में भर्ती कर लिया गया एवं दिनांक 28.11.18 को डिस्चार्ज किया गया। अपीलार्थी द्वारा जिस बाबत सूचना, सूचना पटट पर दर्ज की हुई थी के बावजूद प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपीलार्थी की बीमारी के कारण गैर मौजूदगी में झूठा प्रकरण बनाकर कार्यवाही करते हुए मनमाने तथ्यों पर जांच रिपोर्ट एकतरफा में तैयार की गई। प्रवर्तन निरीक्षक श्री दिनेश चौबे जो अपीलार्थी से रंजिश रखता है। जांच रिपोर्ट अपीलार्थी की गैर मौजूदगी में तैयार की गई है, इस कारण आलोच्य निर्णय विधि सम्मत निर्णय की तारीफ(श्रेणी) में नहीं आता है। अपीलार्थी को कारण बताओं नोटिस की जानकारी आलोच्य निर्णय की नकल लेने पर हुई। कारण बताओं नोटिस में 07 आरोप दर्ज किये हुए है जबकि आलोच्य निर्णय में कारण बताओं नोटिस से अधिक बढा चढा कर 09 आरोप दर्ज किये गये है। प्रवर्तन निरीक्षक श्री दिनेश चौबे मूलतः बांदीकुई जिला दौसा का निवासी है। अपीलार्थी के मकान के बंगल में अपीलार्थी की पत्नी का जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 6.7.15 के खरीदशुदा प्लॉट है, को प्रवर्तन निरीक्षण लेना चाहता है, तथा उनके द्वारा अपीलार्थी को टेलीफोन पर धमकी दी कि प्लॉट को मुझे दे दे नहीं तो तुझे राशन डीलर का कार्य शांतिपूर्वक नही करने दूगाँ। अपीलार्थी द्वारा समस्त उपभोक्ताओं को

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

नियमानुसार सही रेट पर सही समय पर उचित मूल्य सामग्री का वितरण किया गया है और राज्य सरकार के निर्देशोंनुसार उपभोक्ताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुऐं किसी भी उपभोक्ता के राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड लेकर आने पर पोस मशीन से फ्रिंगर प्रिंट लगवाकर राशन सामग्री का वितरण किया जाता है। जिला रसद अधिकारी के यहॉ जो कार्यवाही अपीलार्थी के विरूद्व की गई है वो समस्त कार्यवाही प्रवर्तन निरीक्षण चौबे द्वारा रंजिशवश रखने के कारण उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र निरस्त कराने की नियत से तैयार की गई है। अपीलार्थी के विरूद्व जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी में एफआर लगाई जा चुकी है। अपीलार्थी अपने क्षेत्र के उपभोक्ताओं के द्वारा किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। जिला रसद अधिकारी की पत्रावली में ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद नही है जिससे अपीलार्थी के विरूद्व मनगंढत रूप में विरचित किये गये आरोप सिद्व व साबित होते हो। अपीलार्थी के विरूद्व आपसी रंजिशवश की गई है। अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित होने से परिवार का पालन पोषण नही हो रहा है। जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा अपीलांट को जो नोटिस दिया उसका जवाब पेश कर दिया गया है। अपीलांट पर लगाये गये आरोप गम्भीर प्रवृति के नहीं है। जिला रसद अधिकारी, अलवर का फैसला विधि विरूद्व तरीके से मनमर्जी एकतरफा में पारित किया गया है। अपीलांट पर लगाये गये आरोप गम्भीर प्रवृति के नहीं है और किसी प्रकार का गबन किया गया है। अपीलार्थी द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गई है। जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा मनमाने रूप से हठधर्मिता से आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी अपने कथन के समर्थन 181 व्यक्तियों के शपथ पत्र प्रस्तुत कियें जिसमें उचित मूल्य की दुकान के डीलर से को शिकायत नहीं है। अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें, एवं अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश दिये जावें।

विभागीय पैरोकार ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि आदेश 1976 की धारा 8 के तहत बिना सुनवाई के प्राधिकृत अधिकार पत्र निरस्त किया जा सकता है। समस्त कार्यवाही की जानकारी अपीलार्थी को है। वक्त जांच उपभोक्ताओं के बताया कि डीलर द्वारा खाद्य सामग्री खराब देता है और समय पर सामग्री वितरण नहीं करता है। प्रवर्तन निरीक्षक ने जांच कर सही रिपोर्ट पेश की है। प्राप्त शिकायत के आधार पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया है। दौराने जांच स्थिति सही नही मिली जिसके आधार पर कार्यवाही की गई है। अतः अपील खारिज फरमाई जावें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि अपीलाधीन आदेश अपीलार्थी को बिना सुने पारित किया है तथा अपीलान्ट पर लगाये गये आरोप गंभीर प्रवृति के नहीं है। वकील अपीलाण्ट का तर्क यह भी है कि अपीलार्थी की शिकायत द्वेषभावना व रंजिश से की गई थी। जिसके संबंध में बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया जाना न्यायोचित नही है। अपीलार्थी के विरूद्व जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी उस एफआईआर में एफआर लगाई जा चुकी है। अपीलार्थी वकील द्वारा उठाये गये तर्क के सम्बन्ध में तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया। तहत अदालत की पत्रावली में कहीं ऐसा नही पाया गया कि अपीलार्थी को सुनवाई का मौका दिया गया हो, और ना ही उनके द्वारा पत्रावली में कोई प्रोसेडिंग लिखी गई है। डीलर की शिकायत पर जांच दल गठित कर प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 27.11.17 के आधार पर अपीलीय निर्णय पारित किया गया है। अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान को आवंटित क्षेत्र की राशन सामग्री के उठाव एवं वितरण की व्यवथा हेतु श्री प्रवीण कुमार सैन उचित मूल्य दुकानदार रैणी को जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा दिनांक 28.11.2017 को वैकल्पिक व्यवस्था हेतु निर्देशित किया गया तथा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र दिनांक 05.03.2018 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी की उचित मूल्य

जिला कलक्टर
अलवर (राज.)

दुकान की जॉच दिनांक 27.11.17 को कराई गई थी। जिला रसद अधिकारी द्वारा जॉच से पूर्व ही अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त करना प्रक्रियात्मक त्रुटि है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी का आदेश दिनांक 05–03–2018 निरस्त किया जाता है। अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाता है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापस भेजी जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 02–07–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर, अलवर
अलवर (राज०)